न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रभा गौतम, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 06.08.2012
G.C.M.S. NO. :-2012/00014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–भंवरलाल पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
3–शंकरलाल पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
4–हेमराज पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
5–लहेरी पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
6–पानी पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
7–नंदलाल पिता भगवाना जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
8–नारू पिता भगवाना जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
9–चांदी पिता भगवाना जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

10–चुन्नी बेवा भगवाना जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

11–चुन्नीलाल पिता प्रथा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजाएः–

11/1–लाला पिता चुन्नीलाल जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा हाल मुकाम धानेरी गांव लौंगाव पूना महाराष्ट्र

11/2–सोहनलाल पिता चुन्नीलाल जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा हाल मुकाम यादववाडी, पीपरीचौक, पूना महाराष्ट्र

11/3–देवीलाल पिता चुन्नीलाल अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा हाल मुकाम हनुमानजी के मंदिर के पास, जैतपुरा रोड़, रेलवे स्टेशन भीण्डर, जिला उदयपुर

11/4–मांगीबाई पिता चुन्नीलाल जाति अहीर निवासी मंगलवाड़ (ससुराल) हाल मुकाम सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

12–कन्नीराम पिता प्रथा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

13–जयचंद पिता प्रथा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक
2– श्री सावन श्रीमाली, अधिवक्ता विपक्षी सं. 12 व 13

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 20.12.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) डूंगला ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1268 रकबा 10 बिस्वा भूमि वक्त सेटलमेंट किस्म नाडा–नाडी होकर राजकीय भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडा–नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। उक्त भूमि को जरिये नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 08.06.67 से प्रथा, हीरा पिता मोती अहीर के नाम दायर किया गया है नियमों के विपरीत होने से निरस्त कर पुनः सरकार के नाम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 12 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र पेश किया। शेष विपक्षीगण संख्या 1 से 11/4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः शेष विपक्षीगण संख्या 1 से 11/4 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण संख्या 1 से 11/4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 12 व 13 के जवाब पेश नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन करने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम सेमलिया पीलाखेड़ा की वक्त सेटलमेंट की आराजी नम्बर 1268 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म नाडा–नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडा–नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खाातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1268 किस्म नाडा–नाडी दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1268 के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 1268 रकबा 0.1260 है. जो कि नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 08.06.67 से राजस्व रेकार्ड में प्रथा, हीरा पिता मोती अहीर के नाम से दर्ज अंकन है जो विधि–विपरीत होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराये जाने योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 12 व 13 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण के खाते एवं कब्जे की जमीन आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.1260 हैक्टैयर होकर वर्षों से उनके कब्जे में चली आ रही है। उक्त भूमि का विपक्षीगण लगान अदा करते आ रहे हैं उनके द्वारा कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है ना ही नाले अथवा नाडा–नाडी पर कोई कब्जा किया है। यह कृषि योग्य

भूमि है जो अलोटमेंट की परिभाषा में आने से नियमानुसार उनके पूर्वजों को अलोट हुई है जिस पर करीब 50 वर्षों से कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन करते आ रहे हैं वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है जिससे रेफरेन्स लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार आराजी नम्बर 1268 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म नाडा–नाडी आवंटन होकर जरिये नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 08.06.67 से मृत्तक विपक्षी प्रथा, हीरा पिता मोती अहीर के नाम दर्ज हुई है जो कि वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म बाडा होकर आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.1260 विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है। आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.1260 वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है, जिसकी किस्म वर्तमान में बाडा है जो कि नियमों के विरूद्ध है, क्योंकि उक्त भूमि गत भू–प्रबंध में किस्म ''नाडा–नाडी'' दर्ज रेकार्ड रही है जिससे उक्त भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार डूंगला द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की

धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नामान्तरण/नकल जमाबंदी/इत्यादि राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा-नाडी की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म नाडा-नाडी की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा-नाडी की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा परित निर्णय रिट पीटीशन संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08. 2004 में दिये गये निर्देशो की पालना में क्रम में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

"(3) Suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use:

Looking to the site visit by the State Level Expert Committee in September 2003 and General Survey Reports received from the District Collectors and Chairmen.

District Expert Committee, following suggestions are made:

1. All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must beamended accordingly.
2. Demarcation of catchment areas should be done by construction pillars at suitable spacing depending upon size of the catchment area with the help of G.T. sheet of scale 1:25000 or 1:50000 and/or "Water Shed Atlas of Rajasthan" prepared by the State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur.
3. Demarcation of drainage channels –
   (i) In unhabited areas this can be done by installing pillars at suitable spacing or by constructing side wall depending upon size of drainage channel and its importance.
   (ii) In urban and rural areas, the demarcation of drainage channels must essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness.

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

4. In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights. of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government.
5. The drainage channels in the catchment areas should be got inspected byengineering professionals and Patwatis. Wherever there are obstructions innalla, it should be suitably removed by constructing culverts, deepening and widening of nallas etc.
6. Wherever there are any construction activities, which may interfere with the flow of water in drainage channels, no objection certificate must be obtained from the irrigation department.
7. The Anicuts more than 2m height above deepest nalla bed should beidentified. The height more than 2m should be dismantled.
8. Wherever residential colonies have been constructed obstructing flow in drainage channels, the obstruction must be removed and nallas may be deepend and constructed
9. On the periphery of lakes, ponds, water bodies in urban and rural areas, a pucca drain should be constructed on periphery of the water body to prevent entry of domestic, industrial and other waste in the water body.
10. For soil conservation work, suitable guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these works make minimum possible interference with the flow of water.
11. The district administration should specify places for dumping varioustypes of waste material. If any body is found to dump the waste material in other places, particularly drainage channels, then suitable punishment should be provided in the law.
12. The government should use television, radio and newspapers to create awareness in this matter.
13. Possibility should be explored to use marble slurry as construction material, for filling depressions etc. as has been done for disposal of fly ash from thermal Power Houses.
14. The water quality of water bodies should regularly be monitored.
15. Wherever over-burden or waste materials generated from mines and processing units, have been dumped obstructing flow of water in drainage

channels; diversion drains and check walls must be constructed. For that purpose, special condition should be incorporated in the lease/license agreement."

16. Having, given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the State Government to consider the recommendations of the Committee referred to above and chalk out a plan to take the effective steps. for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities from drawing up or taking further step more effectively to fulfill the object of the directions issued by this court. Three months' time is granted for giving positive shape to the suggestions. The interim order dated 9.4.2003 granted by this Court is made absolute.

माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि सरकार के स्वामित्व वाली झीलों और अन्य जल निकायों में, खातेदारी अधिकार, डूब क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की भूमि को सरकार के स्वामित्व में लाया जाये। जहां भी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण जल निकासी चौनलों में प्रवाह को बाधित कर रहा है, अवरोध को हटाया जाना चाहिए और नालों को गहरा और निर्माण किया जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 6(16)राज-6/ 99/9 दिनांक 16.07.2003 से प्रचारित किया गया है कि जोहड गबाई तालाब नाडी आदि जल संग्रहण कार्यो हेतु उपयोग में आने वाले भूमि तथा जल ग्रहण कार्यो के जो जल प्रवाह क्षेत्र में है आदि भूमियों का भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु आवंटन नहीं किया जावें उन्हे फ्री रखा जावे।

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज–6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 से प्रचारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों, जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते का आवंटन अवैध है। ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा एवं उनसे नीचे के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जावे। यदि पूर्व में कोई आवंटन कर दिये गये हो तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त करावे तथा बेदखली की कार्यवाही करें। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैः–

2 Instructions be issued restraining allotment of land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, river, pond etc. Infringement of instructions should be viewed seriously with follow-up action against the defaulting officers and the beneficiaries so that tendency of illegal allotment of land may be stopped at all levels.

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

3. Action may be taken for cancellation of allotments made in violation of section 16 of the Act of 1955 and other Rules and Regulations. Presently, details of the references sent to the Board of Revenue in regard to Ramgarh dam catchment area have been furnished to this court which are more than 400 by now. Similar drive for making reference to the Board of Revenue in regard to catchment areas of other water reservoirs in the State of Rajasthan should be taken up so that with the cancellation of illegal allotments followed by removal of encroachments, water may flow to reservoirs like river, dam, nala, pond, Johar etc without obstruction.

माननीय न्यायालय द्वारा यहॉ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि जोहड़, नाला, टैंक, नदी, तालाब आदि जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवैध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। हर स्तर पर भूमि आवंटन रोका जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं अन्य नियम एवं विनियम के उल्लंघन में किये गये आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में, रामगढ़ बांध जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में राजस्व मंडल को भेजे गए संदर्भों का विवरण इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, जो अब तक 400 से अधिक हैं। राजस्थान राज्य में अन्य जल जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में राजस्व बोर्ड को संदर्भित करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अवैध आवंटन को रद्द करने और अतिक्रमण हटाने के

साथ नदी जैसे जलाशयों में पानी प्रवाहित हो सके। बांध, नाला, तालाब, जोहड़ आदि बिना रुकावट के।

2019 SSC Online SC 1510 जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम समुदायों में निहित सामान्य भूमि से संबंधित मुद्दे में निर्देशित किया गया है :–

Protection of such village-commons is essential to safeguard the fundamental right guaranteed by Article 21 of our Constitution. These common areas are the lifeline of village communities, and often sustain various chores and provide resources necessary for life. Waterbodies, specifically, are an important source of fishery and much needed potable water. Many areas of this country perennially face a water crisis and access to drinking water is woefully inadequate for most Indians. Allowing such invaluable community resources to be taken over by a few is hence grossly illegal."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसे ग्राम–सामुदायों की सुरक्षा आवश्यक है। ये सामान्य क्षेत्र ग्राम समुदायों की जीवन रेखा हैं, और अक्सर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जल निकाय, विशेष रूप से, मत्स्य पालन और अत्यधिक आवश्यक पीने योग्य पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस देश के कई क्षेत्र हमेशा जल संकट का सामना करते हैं और अधिकांश भारतीयों के लिए पीने के पानी तक पहुंच बेहद अपर्याप्त है। इसलिए ऐसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों पर कुछ लोगों को कब्ज़ा करने की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है।

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया गया है कि आराजीयात जैर बहस मौजा सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.1260 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है की किस्म भूमि नाडा–नाडी दर्ज रेकार्ड रही है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान के विचारण योग्य प्रतीत होता है एवं प्रार्थी तहसीलदार, डूंगला द्वारा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज–6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 के क्रम में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के विचारण योग्य प्रकरण होने से मौजा सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 1268 रकबा 0.1260 है. के आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अनुशंषा की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 1268 रकबा

प्रकरण संख्या 59/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला बनाम गोरधन पिता हीरा जाति अहीर निवासी सेमलिया पीलाखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

0.1260 है. जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है कि खातेदारी समाप्त किये जाने बाबत् रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मय अनुशंषा के प्रेषित है। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर हस्तगत मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावे। इसके साथ ही तहसीलदार, डूंगला को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य पक्ष की प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रेषित की जावे। इस न्यायालय से पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)